पत्र संख्या : 7वि०शा०/स्था०व्य०-15-07/2021 ज०स०.....374

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/अग्रिम योजना,/यॉ०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 30-3-22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 12 कार्यालयों को विभिन्न मदों में शुद्ध राशि रू 00.69 लाख (उनहत्तर हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष **2701- मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	शुद्ध आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	**0.690**

शुद्ध आवंटित राशि - रुपये उनहत्तर हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरान्त संशोधित बजट उपबंध रू 10886.75 लाख (एक सौ आठ करोड़ छियासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि॰) दि॰15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियेता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–29 / बी०टी०ई०–18 / 2014.–15 / 300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यपर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यपर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश / वित्त नियमावली बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ***(http://www.wrdjharkhand.nic.in)*** *पर भी उपलब्ध है।*
अनु॰ :– यथोक्त

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 374 रॉची, दिनांक :– 30-3-22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ –हिनू,रॉची / कोषागार पदाधिकारी, रॉची / डोरंडा / देवघर / सिमडेगा / सिमडेगा / दुमका सहित राज्य के **सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 374 रॉची, दिनांक :– 30-3-22

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / मुख्य सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख I एवं II, ज ल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता(मो॰), रॉची / संयुक्त सचिव (अभि॰) / उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2,रॉची को Online Sanction निर्गत करने हेतु / प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग / सांख्यकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 374 दिनांक 30-3-22 का अनुलग्नक

राशि लाख रूपये में

क0सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय		
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन 49S27010300107000101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49S27010300107000110	एल0टी0सी0 49S27010300107000112	देशीय यात्रा व्यय 49S27010300107000213	कार्यालय व्यय 49S27010300107000315	किराया,दरें, कर 49S27010300107000316	आपूर्ति एवं सामग्री 49S27010300107000323	व्यवसायिक सेवा 49S270103001070329	दूरभाष 49S27010300107000333	वर्दी 49S27010300107000334	विद्युत व्यय 49S27010300107000337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49S27010300107000442	विधि प्रमार 49S27010300107000760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
1	मुख्य अभि0, अग्रिम योजना, रॉची	पूर्व का आवंटन	34.000	0.000	0.000	0.500	1.400	0.000	1.000	0.000	0.222	0.000	0.000	1.400	0.000	38.522	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.345	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.345	
		कुल आवंटन	34.000	0.000	0.000	0.500	1.400	0.000	1.000	0.345	0.222	0.000	0.000	1.400	0.000	38.867	
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रॉची	पूर्व का आवंटन	158.000	0.000	0.500	1.100	1.200	0.000	0.400	0.000	0.300	0.025	0.000	1.300	0.100	162.925	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.070	0.000	0.000	0.345	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.415	
		कुल आवंटन	158.000	0.000	0.500	1.100	1.270	0.000	0.400	0.345	0.300	0.025	0.000	1.300	0.100	163.340	
3	अग्रिम योजना अंचल रॉची	पूर्व का आवंटन	34.500	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.600	0.000	36.600	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	-0.200	-0.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.380	
		कुल आवंटन	34.500	0.000	0.000	0.000	0.120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.600	0.000	36.220	
4	जलपथ अंचल, दुमका	पूर्व का आवंटन	80.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.100	0.125	0.000	0.400	0.500	81.725	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.310	-0.310	
		कुल आवंटन	80.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.100	0.125	0.000	0.400	0.190	81.415	
5	सिंचाई अंचल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन	180.000	0.000	0.000	0.400	0.650	0.000	0.000	0.000	0.100	0.200	0.000	1.150	0.200	182.700	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	-0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.250	
		कुल आवंटन	180.000	0.000	0.000	0.150	0.650	0.000	0.000	0.000	0.100	0.200	0.000	1.150	0.200	182.450	
6	सिंचाई यांत्रिक अंचल ,रॉची	पूर्व का आवंटन	28.300	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	0.250	0.000	0.200	0.050	0.000	0.400	0.000	30.200	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.400	0.000	-0.400	
		कुल आवंटन	28.300	0.000	0.000	0.200	0.800	0.000	0.250	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	29.800	
7	अग्रिम योजना प्र0 दुमका	पूर्व का आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.450	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.250	
		कुल आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.200	
8	जलपथ प्रमंडल सं.–1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन	263.000	0.000	0.000	0.870	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.650	0.000	0.300	2.065	267.135	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	
		कुल आवंटन	263.000	0.000	0.000	1.470	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.650	0.000	0.300	2.065	267.735	
9	रूपांकण प्रमंडल सं.–2, रॉची	पूर्व का आवंटन	484.000	0.000	0.000	0.700	0.650	0.000	0.000	0.000	0.050	0.600	0.000	0.000	0.100	486.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.150	
		कुल आवंटन	484.000	0.000	0.000	0.550	0.650	0.000	0.000	0.000	0.050	0.600	0.000	0.000	0.100	485.950	

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि0)

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवा	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S27010300107000101	49S270103001 07000110	49S27010300107000112	49S27010300107000213	49S27010300107000315	49S27010300107000316	49S27010300107000323	49S270103001070329	49S27010300107000333	49S27010300107000334	49S27010300107000337	49S27010300107000442	49S27010300107000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
10	सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर–महगामा	पूर्व का आवंटन	173.700	0.000	0.000	1.200	0.850	0.000	0.000	0.000	0.180	0.225	0.000	0.000	0.000	176.155	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	
		कुल आवंटन	173.700	0.000	0.000	1.200	1.150	0.000	0.000	0.000	0.180	0.225	0.000	0.000	0.000	176.455	
11	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया	पूर्व का आवंटन	225.000	0.000	0.000	0.450	1.050	0.000	0.250	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.850	227.950	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.310	0.370	
		कुल आवंटन	225.000	0.000	0.000	0.450	1.110	0.000	0.250	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	1.160	228.320	
12	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, रॉंची	पूर्व का आवंटन	249.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.150	0.000	0.200	0.400	0.000	0.900	0.000	251.550	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.400	
		कुल आवंटन	249.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.150	0.000	0.200	0.400	0.000	1.300	0.000	251.950	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.690	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.690	

शुद्ध अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये उनहत्तर हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

374
30-3-22

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव